न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/42/2021

प्रवेश तिथि 11.05.2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री प्रताप सिंह अधिवक्ता कोर्ट कैम्पस, बहरोड जिला अलवर पिनः– 301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

राजस्थान सरकार

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 21.06.2021

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 30.03.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को जिला कलक्टर अलवर (राज0) के कार्यालय सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ का पत्र क्रमांक लो.सू.अ./वि.शि./2021/639 दिनांक 04.03.2021 के तथ्यात्मक रिपोर्ट संबंधी बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने बाबत् अनुरोध किया गया था।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः : 30.03.2021 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 03.05.2021 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 11.05.2021) के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वित्तीय/आर.टी.आई.अपील/2021/487 दिनांकः 12.05.2021 के माध्यम से तलब कर दिनांकः 25.05.2021 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, तत्पश्चात् पुनः पत्रांकः 514 दिनांकः 15.06.2021 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी कर सूचना/जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किए जाने उपरान्त भी प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्तांकित अपील प्रकरण में निर्णय दिनांक तक ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ। अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं आया।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 30.03.2021 पर अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक कोई जवाब/प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की गई है और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार–बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की ठोस अनुपालना के प्रति प्रत्यर्थी विभाग की उदासीनता का परिचायक है।

7. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 07 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 30.03.2021 में वांछित सूचना, उनके अभिलेख पर उपलब्धतानुसार निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावे।

8. यहॉ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृति ना हो, सुनिश्चित करें।

9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)